SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

in the court of न्यायालय –रज्नेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा, जिला–शिवपुरी

Case No **-351/2026 SUM** **Complaint or report made on .**

Name and address of the complainant **आरक्षी केन्द्र अमोला, जिला शिवपुरी**

Name, Parentage caste and adders of accused

1–**अभियुक्त संदेश राय पुत्र रामनिवास राय, आयु–26 साल, निवासी वार्ड नंबर 11 पशु चिकित्सक के सामने, करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0**

The offence complained of and date of its alleged commission

आप दिनांक–06.08.2026 को समय 17:50 बजे से 18:00 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र अमोला के अंतर्गत नरेन्द्र ठाकुर के मकान के थोडा आगे हाईवे के किनारे–किनारे सिरसौद चौराहा थाना अमोला जिला शिवपुरी म.प्र. के पास स्वयं के कब्जे में एक हरे रंग के कपडे के थैले में 20 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के शीलबंद हालत में प्रत्येक क्वार्टर में 180 एम.एल. देशी मदिरा प्लेन भरी हुई कुल 03 क्वार्टर 600 मि0ली0 शराब कीमती करीब 2000/–रूपये बिना कोई वैध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र के रखे हुए पाये गये।

इस प्रकार आपका कृत्य धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्राधिकार में है।

अतः एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आपके उक्त अपराध का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा। तुम्हे अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

रज्नेश पाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त का अभिवाक–मुझे उक्त अपराध स्वेच्छया स्वीकार है और मैं इसके परिणाम को समझता हूं।

RAJNESH PAL

Digitally signed by RAJNESH PAL
Date: 2026.08.13 17:31:44 +0530

रज्नेश पाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र.

न्यायालयः—रज्नेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा जिला शिवपुरी (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक	SUM/351//2026
फाइलिंग क्रमांक	SUM/2464/2026
सीएनआर क्रमांक	MP3305-0029102026
संस्थापन दिनांक	13-08-2026

—/निर्णय/—

(आज दिनांक—13.08.2026 को घोषित)

1— अभियुक्त संदेश राय के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत आपराध की विशिष्टि अधिरोपित है।

2. मामले के दौरान आरक्षी केन्द्र अमोला के अंतर्गत नरेन्द्र ठाकुर के मकान के थोडा आगे हाईवे के किनारे—किनारे सिरसौद चौराहा थाना अमोला जिला शिवपुरी म.प्र. के पास स्वयं के कब्जे में एक हरे रंग के कपडे के थैले में 20 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के शीलबंद हालत में प्रत्येक क्वार्टर में 180 एम.एल. देशी मदिरा प्लेन भरी हुई कुल 03 क्वार्टर 600 मि0ली0 शराब कीमती करीब 2000/—रूपये को पुलिस कब्जे लेकर चेक किया। उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम **अभियुक्त संदेश राय पुत्र रामनिवास राय, आयु—26 साल, निवासी वार्ड नंबर 11 पशु चिकित्सक के सामने, करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0** का होना बताया उक्त व्यक्ति से मौके पर उक्त शराब रखने व बैचने का वैध लायसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। उक्त शराब जब्त कर जब्ती पंचनामा आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने का नेटिस साक्षीगण के कथन लेख अन्य कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

3. अभियुक्त पर धारा 34 (1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत अपराध विवरण विरचित कर सुनाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है। अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अपराध की स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त धारा 34 (1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अपराध हेतु दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

4. कारित अपराध की प्रकृति व स्वरूप को देखते हुये अभियुक्त परिवीक्षा का पात्र नहीं हैं।

5. अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है, अतः यह माना जाता है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 34 (1)(क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/—रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड में व्यक्तिक्रम पर 01 माह साधारण का कारावास भुगताया जावे।

6. प्रकरण में जप्तशुदा एक हरे रंग के कपडे के थैले में 20 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के शीलबंद हालत में प्रत्येक क्वार्टर में 180 एम.एल. देशी मदिरा प्लेन भरी हुई कुल 03 क्वार्टर 600 मि0ली0 शराब कीमती करीब 2000/—रूपये अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जायें। अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

स्थान :—करैरा जिला शिवपुरी

निर्णय खूले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

RAJNESH PAL Digitally signed by RAJNESH PAL Date: 2026.08.13 17:31:51 +0530

(रज्नेश पाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

दिनांक :—13.08.2026

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(रज्नेश पाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

करैरा, जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

करैरा, जिला–शिवपुरी (म0प्र0)